



बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम एवं निर्देश

CWJC No. 16760/2023, गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा सम्बद्ध सभी अन्य मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 20.06.2024 को आदेश पारित करते हुए नयी आरक्षण नीति को रद्द कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP(C) No. 014086/2024 एवं अन्य सदृश वादों में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के अनुसार नियुक्ति की कार्यवाई की जाय।

तदालोक में सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा पूर्व प्रवृत्त आरक्षण 50% के अनुसार उपलब्ध कराई गई संशोधित रिक्तियों के आलोक में आयोग द्वारा बिहार कृषि सेवा लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा (वि.सं. 18/2024 से 21/2024) का अतिरिक्त परीक्षाफल दिनांक 27.09.2024 को प्रकाशित किया गया। उक्त सभी सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) दिनांक 17.10.2024 से 21.10.2024 तक किया जायेगा, जिसका विस्तृत कार्यक्रम एवं निर्देश निम्न प्रकार से है:-

वि.सं. 18/2024 के अंतर्गत बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (शष्य), अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/सहायक निदेशक (शष्य) एवं समकक्ष तथा वि.सं. 21/2024 के अंतर्गत बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-1 (शष्य), प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष

दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समय: 09:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय: 2:00 बजे अपराह्न से)
	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
गुरुवार 17-10-2024	100023, 100130, 100209, 100781, 100810, 101082, 101244, 101298, 101454, 101680, 101885, 101970, 102024, 102448, 102457, 102513, 102538, 102563, 102578, 102830, 102866, 103049, 103088, 103270, 103284, 103323, 103354, 103362, 103372, 103402, 103543, 103569, 103580, 103657, 103702, 103715, 103788, 103853, 104131, 104264, 104367, 104473, 104534, 104812, 104818, 104866, 105063, 105087, 105305, 105310, 105315, 105427	105435, 105592, 105747, 105852, 105879, 105990, 106120, 106151, 106341, 106407, 106423, 106794, 107120, 107392, 107398, 107518, 107541, 107702, 107907, 108050, 108076, 108225, 108271, 108370, 108399, 108563, 108666, 108680, 108685, 108772, 109032, 109276, 109325, 109481, 109521, 109652, 109687, 109802, 109838, 109924, 109948, 109999, 110014, 110079, 110138, 110167, 110546, 110639, 111040, 111064, 111193, 111271
शुक्रवार 18-10-2024	111341, 111378, 111515, 111731, 111766, 111800, 111805, 112012, 112075, 112108, 112174, 112537, 112544, 112590, 112598, 112656, 112701, 112855, 113034, 113384, 113690, 113781, 113787, 113821, 113829, 114129, 114143, 114157, 114220, 114223, 114250, 114280, 114367, 114472, 114494, 114532, 114581, 114658, 114788, 114999, 115154, 115240, 115258, 115437, 115535, 115537, 115563, 115564, 115605, 115648, 115751, 115818	115913, 115940, 115989, 115996, 116121, 116275, 116493, 116494, 116578, 116689, 116741, 116805, 116893, 116934, 117040, 117203, 117237, 117355, 117489, 117506, 117510, 117602, 117867, 117958, 118250, 118342, 118539, 118612, 118840, 118853, 118857, 118859, 118889, 118900, 118981, 119048, 119150, 119331, 119369, 119580, 119625, 119760, 119780, 120004, 120021, 120047, 120165, 120205, 120381, 120589, 120806, 120939
शनिवार 19-10-2024	120978, 121130, 121203, 121276, 121385, 121439, 121553, 121560, 121603, 121845, 122058, 122074, 122122, 122246, 122259, 122333, 122556, 122599, 122675, 122890, 123010, 123045, 123048, 123323, 123344, 123398, 123425, 123491, 123494, 123513, 123683, 123756, 123786, 123845, 124160, 124264, 124269, 124294, 124335, 124387, 124572, 124711, 124777, 124885, 124936, 125375, 125564, 125648, 125690, 125746, 125809, 125929	126036, 126147, 126194, 126307, 126371, 126383, 126455, 126692, 126799, 126922, 126953, 127012, 127013, 127014, 127082, 127120, 127142, 127144, 127147, 127358, 127389, 127395, 127894, 127906, 127960, 127982, 128068, 128175, 128185, 128241, 128295, 128628, 128853, 128856, 128938, 129017, 129089, 129105, 129177, 129233, 129426, 129688, 129691, 130271, 130330, 130472, 130479, 130808, 130848, 131182, 131222, 131418
सोमवार 21-10-2024	131422, 131437, 131497, 131703, 131751, 131904, 131993, 132025, 132116, 132122, 132160, 132199, 132297, 132339, 132524, 132659, 132729, 132826, 132848, 132995, 133178, 133245, 133312, 133352, 133363, 133436, 133480, 133615, 133666, 133732, 133880, 133936, 134292, 134319, 134445, 134887, 134951, 134985, 135005, 135077, 135138, 135225, 135292, 135583	XXX

बिहार कृषि सेवा कोटि-2 (कृषि अभियंत्रण), सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)

दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समय: 09:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय: 2:00 बजे अपराह्न से)
	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	
सोमवार 21-10-2024	XXX	200007, 200081, 200093, 200095, 200109, 200234, 200242, 200257, 200320, 200334, 200363, 200532, 200571, 200640, 200656, 200696, 200708, 200922, 200935

बिहार कृषि सेवा कोटि-5 (पौधा संरक्षण), सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण)

दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समय: 09:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय: 2:00 बजे अपराह्न से)
	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	
सोमवार 21-10-2024	XXX	300008, 300058, 300181, 300314, 300782, 301043, 301286

- उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी उक्त लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा के ई-प्रवेश पत्र के साथ दस्तावेज सत्यापन में शामिल होना सुनिश्चित करेंगे।
- आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र-I एवं अधिमानता से संबंधित प्रपत्र-II उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र-I एवं प्रपत्र-II में अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाने वाली जानकारी/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थियों की अर्हता प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
- सभी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दिन विज्ञापन की कंडिका-5(x) नोट- (2) में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप अपने ऑनलाइन आवेदन में योग्यता सम्बन्धी दावे/सूचना से सम्बन्धित निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की सुस्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित Downloaded Watermarked निम्नांकित क्रमानुसार एक सेट में जमा करना अनिवार्य होगा :-

- लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये ऑनलाइन आवेदन की प्रति (अनुलग्नक सहित)।
- जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/अंक पत्र। उम्मीदवार अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त प्रमाण पत्र में उनका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम सही है।
- स्नातक का अंक पत्र (विज्ञापन की कंडिका-2 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
- स्नातक का प्रमाण पत्र (विज्ञापन की कंडिका-2 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
- बिहार सरकार में संविदा के आधार पर सामान पद पर किये गये कार्यरत अवधि का विनिश्चय हेतु संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर कृषि निदेशक के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक 29.06.2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र।
- पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र) (दावा करने की स्थिति में)।
- पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने सम्बन्धी घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर) (दावा करने की स्थिति में)।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र) (दावा करने की स्थिति में)।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र) (दावा करने की स्थिति में)।
- बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/छूट/EWS आरक्षण का दावा करने की स्थिति में)।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवम् परिसम्पत्ति (EWS) प्रमाण-पत्र विज्ञापन प्रकाशन (पंचाग वर्ष) के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का निर्गत रहने पर मान्य किया जा सकता है। दिनांक 15 जनवरी, 2023 से ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28.01.2024 तक निर्गत (EWS) प्रमाण-पत्र मान्य किया जाना है।
- दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र (दावा करने की स्थिति में)। नोट:- अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।
- स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र (मात्र परिचय पत्र मान्य नहीं होगा)।
- भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्र संख्या-11/आ.-न्याय-73/2024 12679/सा.प्र., दिनांक 12-08-2024 द्वारा प्रकाशित बिहार गजट के आलोक में तांती (ततवा) जाति से संबंधित सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति कोटि के आधार पर पान/स्वासी जाति में सुधार कर अत्यंत पिछड़ा वर्ग किया है, को दस्तावेज

सत्यापन के समय क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(xvii) आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले बिहार सरकार के सरकारी सेवक को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।


(xviii) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)

(xix) फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा-मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस।

(xx) दो पासपोर्ट साइज के अद्यतन फोटोग्राफ (Recent Photograph)

योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख अभ्यर्थी ने उक्त परीक्षा हेतु अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28.01.2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है।

5. उम्मीदवार प्रमाण पत्रों/कागजातों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दिन प्रमाण पत्र/कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा।
6. यदि दस्तावेज सत्यापन के दिन आप अपनी योग्यता एवं अनुभव से सम्बन्धित स्पष्ट प्रमाण पत्र मूल में समर्पित नहीं करेंगे तो आपकी अभ्यर्थिता प्रभावित होगी।
7. (i) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
(ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।
(iii) यदि आपने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), दिव्यांगता, स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी, अथवा भूतपूर्व सैनिक होने सम्बन्धी आरक्षण का दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन के समय उपर्युक्त कडिका 4 (xii), (xiii), (xiv) एवं (xv) में उल्लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
8. दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जा रहे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबन्धिक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर आवेदन में अंकित तथ्यों एवं उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अनुभव प्रमाण पत्र की विधिवत् विभागीय जाँच के पश्चात् यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
9. सम्बन्धित अभ्यर्थी, कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।
10. दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को मोबाइल, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर Wrist Watch (सामान्य/Smart) इत्यादि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आयोग परिसर में लाना वर्जित है।
11. दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
12. वैसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक सेवाओं/पदों की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें सेवाओं/पदों के लिए अधिमानता से संबंधित प्रपत्र-II को भरकर दस्तावेज सत्यापन के दिन लाना अनिवार्य होगा।
13. एक से अधिक सेवाओं/पदों की लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन एक ही तिथि को किया जायेगा, जो सभी सेवाओं/पदों के लिए मान्य होगा।
14. वैसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विज्ञापन में सफल हुए हैं, वे निर्धारित तिथि को ही सभी विज्ञापनों से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र/कागजातों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे।


3/1/2024
परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना